समेकित बाल संरक्षण योजना

एक प्रवेशिका

NEG fire™

transformation through education

समेकित बाल संरक्षण योजनाः एक प्रवेशिका (2016)

कंटेंट डेवेलपमेंट
राकेश कुमार सिंह
शेरन फर्डिनेन्ड्स

संकल्पना और सलाह
वेंगटेश कृष्ण

आभारः इस पुस्तिका में एनईजी–फायर (NEG-FIRE) की पूरी टीम के विचारों व मतों का योगदान है। इसे सारगर्भित बनाने में संदीप टिर्की और रवाला विजय किरण के सुझावों और टिप्पणियों का विशेष योगदान है।

न्यू एजुकेशन ग्रुप – फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन एजुकेशन (एनईजी–फायर)

मार्च 2016 में प्रकाशित
केवल निजी वितरण के लिए

समेकित बाल संरक्षण योजना

एक प्रवेशिका

परिचय

बाल संरक्षण किसी बच्चे के जीवन या उसके बालपन से संबन्धित हर प्रकार की जोखिम या खतरे की आशंकाओं को कम करना है। संरक्षण का अधिकार बच्चों के अन्य सभी अधिकारों से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। बच्चों को घरेलु या स्कूल हिंसा, बाल–श्रम, नुकसानदेह परम्पराओं, बाल–विवाह, बाल–दुर्व्यवहार, अभिभावकीय देखभाल का अभाव और व्यावसायिक यौन–शोषण सहित अन्य समस्याओं से बचा पाने में विफलता का अर्थ है – बच्चों के प्रति संवैधानिक एवं अन्तरराष्ट्रीय वचनबद्धता (commitments) को पूरा करने में विफलता।

भारत में विश्व के करीब 19% बच्चे रहते हैं। अनुमान है कि यहाँ करीब 170 मिलियन बच्चे या तो असुरक्षित हैं या तकलीफदेह परिस्थितियों में हैं (MWCD, 2009)। बच्चों के लिए एक प्रभावी एवं सक्षम संरक्षण व्यवस्था बनाने हेतु सरकार/राज्य की जिम्मेदारी तय करने के क्रम में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) को प्रारम्भ किया।

ICPS के तहत सरकार की अनेक मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को, जैसे किशोर न्याय के प्रावधान (सुरक्षा एवं देखभाल) अधिनियम 2000 (जिसे 2006 में संशोधित किया गया), एक साथ कर एक ही छतरी के नीचे लाया गया है। इसके अलावा इसमें बच्चों की सुरक्षा और उन्हें नुकसानदेही से बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयासों को भी समेकित किया गया है। वर्तमान में यह योजना भारत के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है।

उद्देश्य

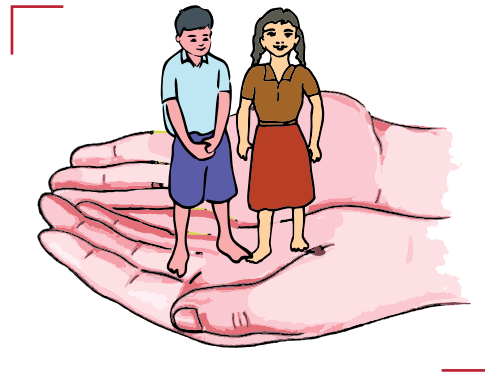

ICPS 'बाल अधिकारों की सुरक्षा' (protection of child rights) और 'बच्चों का सर्वाधिक हित' (best interests of the child) के सिद्धान्तों पर आधारित है और इसका लक्ष्य आपातकाल में पहुंच सेवाओं (services for emergency outreach), परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल (family and community based care) और परामर्श एवं सहारा देने वाली सेवाओं (counselling and support services) को संस्थागत रूप देना है। यह व्यवस्था में कार्यरत इकाईयों को बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाती है और सामाजिक जागरुकता भी बढ़ाती है। किसी बच्चे को शोषण, उत्पीड़न, और स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचने के लिए जिस बचाव एवं उपचार प्रक्रिया की जरूरत होती है यह उनकी तलाश कर उन्हें व्यवस्थित भी करती है।

प्रमुख रणनीतियां

ICPS के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख रणनीतियां संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:

- आपातकालीन पहुंच, संस्थानिक देखभाल (institutional care), परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, और परामर्श एवं संबलन (counselling and support services) के लिए बाल संरक्षण सेवाओं की एक सांतत्यता (continuum) को स्थापित और मजबूती प्रदान करना।
- योजना के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संरचना एवं प्रक्रिया की स्थापना एवं उसे मजबूती देना।
- ICPS के तहत कार्यरत सभी पदाधिकारियों की सभी स्तरों पर, जिनमें प्रशासकीय एवं सेवा प्रदाता (service providers) दोनों शामिल हैं, का क्षमतावर्धन।
- सहयोगी व्यवस्थाओं (allied systems) जैसे, स्थानीय निकाय, पुलिस, न्यायपालिका एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभागों के सदस्यों को ICPS के तहत सबंधित जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए संवेदनशील बनाना एवं प्रशिक्षित करना।

- बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एव निगरानी हेतु देश में एक बाल संरक्षण डाटा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना, जिसमें एमआईएस (MIS) व बाल निगरानी व्यवस्था (child tracking system) भी शामिल हों।
- परिवारों और समुदायों का बच्चों की देखभाल, सुरक्षा उनके प्रति जवाबदेहिता के प्रति क्षमतावर्धन।
- बच्चों को असुरक्षा, जोखिम एवं दुर्व्यवहार से संरक्षित करने हेतु बचाव उपायों को सुझाना और बढ़ावा देना।
- बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के मध्य समन्वयन एवं नेटवर्क विकसित करना।

क्रियान्वयन संरचना

ICPS का क्रियान्वयन सरकार–नागरिक समुदाय सहभागिता (Government & Civil Society Partnership) के रूप में केन्द्र एवं राज्य सरकार के अतिमहत्वपूर्ण निर्देशन एवं जिम्मेदारी के तहत होता है। इसके विभिन्न सेवा वितरण संरचना (service delivery structure) को मोटे तौर पर चार स्तरों पर वर्गीकृत किया जा सकता है– राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं प्रखंड एवं गांव स्तरीय संरचनाएं। योजना की क्रियान्वयन संरचना (implementation framework) चित्र–1 में दर्शित है।

चित्र–1: क्रियान्वयन संरचना

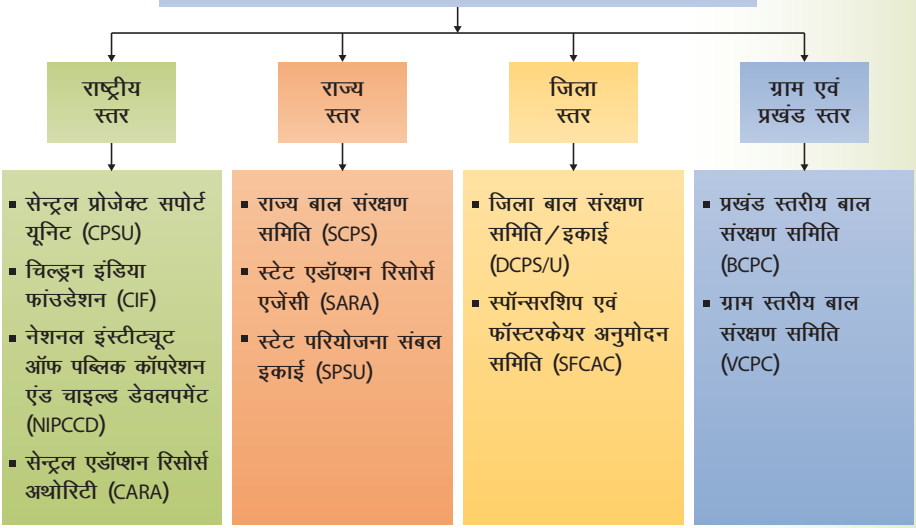

ICPS के तहत महत्वपूर्ण सेवा वितरण संरचना (service delivery structure) का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

राष्ट्रीय स्तर की संरचनाएं

केन्द्रीय परियोजना इकाई (CPSU)

ICPS के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय परियोजना संबलन इकाई (CPSU) स्थापित की गई है। यह दिल्ली में स्थित है और मिशन के निदेशालय के रूप में कार्य करती है। CPSU की भूमिका एवं जिम्मेदारियों में शामिल हैः

(क) ICPS के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना विकसित करना और प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कार्य योजना विकसित करने में मदद करना।

(ख) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य परियोजना संबलन इकाई (SPSU) की स्थापना एवं समन्वयन।

(ग) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में बाल संरक्षण तंत्र एवं संरचना (SCPS, SARA, इत्यादि) की स्थापना में मदद एवं समन्वय।

(घ) राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना

(य) बाल संरक्षण संस्थानों से जुड़ी राष्ट्रस्तरीय जानकारी व उनकी प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों को नियमित तौर पर एकत्रित करना, संमन्वित करना, और

(र) ICPS के क्रियान्वयन की देश भर में निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना।

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (CIF)

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की है और यह देश में चाइल्डलाइन सेवा को संचालित करने के लिए एक प्रकार से मातृ–एनजीओ (Mother NGO) के रूप में काम करता है।

जनसहभागिता एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (NIPCCD)

NIPCCD बाल संरक्षण मुद्दों पर नोडल संगठन एवं राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यह ICPS के क्रियान्वयन में क्षमता वर्धन, शोध एवं दस्तावेजीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर मदद करता है।

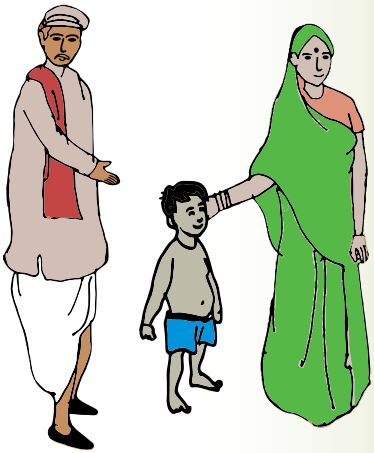

केन्द्रीय गोद संसाधन प्राधिकरण (CARA)

CARA गोद लेने से जुड़े अन्तर्देशीय और अन्तरराष्ट्रीय सभी मामलों में एक केन्द्रीय प्राधिकारी है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है।

राज्य स्तरीय संरचना

राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS)

SCPS इस योजना के राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में क्रियान्वयन की मूल इकाई है। राज्य के बाल कल्याण/विकास सचिव इसके प्रमुख होते हैं। SCPS के मुख्य कार्यों में शामिल है

(क) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर ICPS और अन्य बाल संरक्षण कार्यक्रमों और संस्थानों के क्रियान्वयन, निरीक्षण व निगरानी का कार्य,

(ख) ICPS के तहत जिलों को निधियों (funds) का समुचित प्रवाह और उपयोग सुनिश्चित करना,

(ग) बाल संरक्षण व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों (सरकारी और गैर–सरकारी) के प्रशिक्षण और क्षमतावर्द्धन का कार्य और

(घ) प्रदेश के संस्थानिक देखभाल (institutional care) और परिवार आधारित गैर–संस्थानिक देखभाल (family based non-institutional care) में रह रहे सभी बच्चों का एक राज्य स्तरीय डेटाबेस बनाना और उसे त्रैमासिक आधार पर अपडेट करना।

राज्य गोद संसाधन एजेंसी (SARA)

SARA राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS) के तहत एक इकाई है। यह राज्य में गोद लेने के मामलों का समन्वय एवं निगरानी करता है और CARA को सहायता प्रदान करता है।

राज्य परियोजना संबलन इकाई (SPSU)

SPSU सीधे CPSU एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में स्थित मिशन निदेशालय को रिपोर्ट करता है। एक कार्यक्रम प्रबंधक (Programme Manager) इसका मुखिया होता है। प्रत्येक SPSU में पेशेवरों (professionals) की एक छोटी टीम होती है जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में ICPS के क्रियान्वयन से जुड़े राज्य सचिव एवं निदेशक के साथ निकटता से काम करते हैं। एक बार जब राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन गति पकड़ लेगा तो इस इकाई को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

प्रत्येक SPSU की विशिष्ट भूमिका एवं जिम्मदारियों में शामिल हैः

(क) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में ICPS के क्रियान्वयन के लिए एक कार्ययोजना का विकास करना

(ख) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में बाल संरक्षण संरचनाओं और प्रक्रियाओं (SCPS, SARA, DCPU, आदि) की स्थापना।

(ग) प्रदेश में बाल संरक्षण संस्थानों की स्थिति एवं उनके कार्य के प्रमुख तत्वों पर प्रदेश में नियमित रूप से राज्य स्तरीय जानकारी को संग्रहीत, समेकित करना।

(घ) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में ICPS के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

जिला स्तरीय संरचनाएं

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)

DCPU योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक मूल इकाई है। जिला मजिस्ट्रेट इसका मुखिया होता है और जिला बाल संरक्षण अधिकारी और एक परामर्शक उनके सहयोगी होते हैं। परामर्शक DCPU के सम्पर्क में आने वाले बच्चों और परिवारों को परामर्श देने के लिए जवाबदेह होता है। DCPU जिला स्तर पर सभी तरह के बाल अधिकार एवं संरक्षण सेवाओं को समन्वित और क्रियान्वित करता है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

(क) कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की संख्या का आकलन व जिला विशेष आधारित डाटाबेस की रचना करना ताकि ऐसे बच्चों के ट्रेंड्स और पैटर्न की निगरानी की जा सके।

(ख) ICPS के अवयवों के क्रियान्वयन के लिए भरोसेमंद स्वयंसेवी संगठनों को चिन्हित करना और उनकी मदद करना।

(ग) समुचित आधारभूत संरचना के निर्माण में सहायता कर जिलों में किशोर न्याय कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(घ) जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर की बाल संरक्षण समितियों के गठन को सुनिश्चित करना ताकि कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, और

(ङ) अन्य जिलों की SCPS, SARA, और DCPS से सम्पर्क कर समन्वय करना।

स्पोंसरशिप एवं फॉस्टरकेयर अनुमोदन समिति (SFCAC)

यह प्रत्येक जिले में प्रायोजन (sponsorship) की समीक्षा एवं अनुमोदन (केवल बचाव व्यवस्था हेतु) और पालन–पोषण देखभाल निधि (foster care fund) के लिए मौजूद होती है। SFCAC जिला बाल कल्याण अधिकारी के अधीन कार्य करती है। प्रायोजन का लक्ष्य उन परिवारों को सहायता देना है जो अत्यंत गरीबी के कारण अपने बच्चों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरी ओर पालन–पोषण देखभाल (foster care) एक गैर–संस्थागत कार्यक्रम है जो बच्चों के पालक अभिभावकों के जरिए बच्चों को अस्थायी/स्थानापन्न देखभाल मुहैया करवाता है।

चित्र–2: डीसीपीएस (DCPS) की संरचना

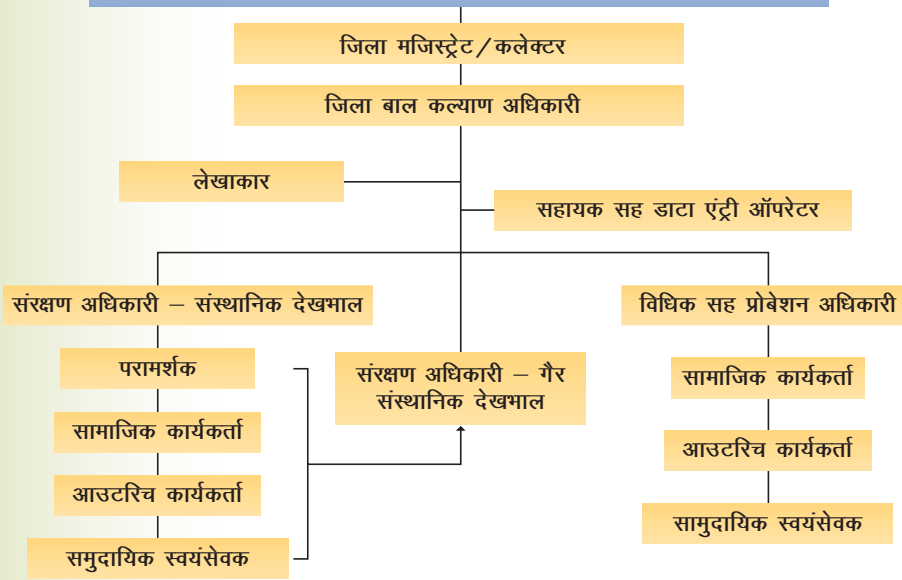

ग्राम और प्रखंड स्तरीय संरचनाएं

प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BCPC)

प्रत्येक प्रखंड में (या शहर में वार्ड) एक बाल संरक्षण समिति होगी, जिसका अध्यक्ष प्रखंड/वार्ड स्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधि (प्रखंड समिति का अध्यक्ष) और प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) सदस्य सचिव होगा। यह प्रखंड स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं की अनुशंसा और निगरानी हेतु उत्तरदायी होती है। समिति में एक DCPS का सदस्य, एक ICDS कार्यकारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधि, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण

समितियों के अध्यक्ष, तथा सम्मानित सामुदायिक सदस्य व नागरिक समाज प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (VCPC)

आईसीपीएस में प्रत्येक गांव में एक बाल संरक्षण समिति के गठन की परिकल्पना की गई है जिसका अध्यक्ष ग्राम स्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत का प्रधान) होगा। यह ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं की अनुशंसा और निगरानी हेतु उत्तरदायी होती है। समिति में दो बाल प्रतिनिधि, DCPS का एक सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, स्कूल अध्यापकों, ऑक्सीलरी नर्स मिडवाइफ (ANM) सहित गांव के सम्मानित सदस्यों व नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।

कार्यक्रम एवं सेवाएं : ICPS के घटक

कई वर्तमान बाल संरक्षण कार्यक्रमों को एक ही छाते की नीचे लाकर ICPS ने एक नई पहल शुरू की है। योजना के मुख्य अवयव निम्न प्रकार वर्णित हैं:

देखभाल, सहायता एवं पुनर्वास सेवाएं

a. आपातकालीन पहुंच सेवाएं

वैसे बच्चे जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए चाइल्डलाइन एक निशुल्क (टोल फ्री) और चौबीसों घंटे उपलब्ध आपातकालीन दूरभाष पहुंच सेवा है। इसे चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, जो एक मातृ एनजीओ है, संचालित करता है। इस

सेवा का उपयोग कोई बच्चा या उसके बदले किसी वयस्क द्वारा 1098 डायल कर किया जा सकता है। 31 दिसम्बर 2014 तक यह सेवा देश में 280 शहरों में करीब 540 सहयोगी संस्थाओं की मदद से संचालित हो रही थी। यह मुख्यतः चिकित्सकीय कारणों, दुर्व्यवहार से संरक्षण, भावनात्मक सहारे, इत्यादि मामलों में सहायता प्रदान करती है।

b. मुक्त आश्रय

ज़रूरतमंद बच्चों (घरहीन, फुटपाथों पर रहने वाले, सड़कों पर रहने वाले तथा कामगार और भिखारी बच्चे) के लिए शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में मुक्त आश्रय खोले गए हैं। मुक्त आश्रय बच्चों को ऐसा स्थान उपलब्ध कराते हैं जहां वे अपने समय को उत्पादक तरीके से उपयोग कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एनजीओ (NGO) तथा राज्य सरकारों/केंद्रशासित सरकारों द्वारा संचालित ये मुक्त आश्रय, दरअसल बच्चों को स्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय मौजूदा संस्थागत देखभाल सुविधाओं (existing institutional care facilities) के पूरक हैं। 2014-15 के दौरान मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों के माध्यम से लगभग 298 मुक्त आश्रयों को सहायता प्रदान की।

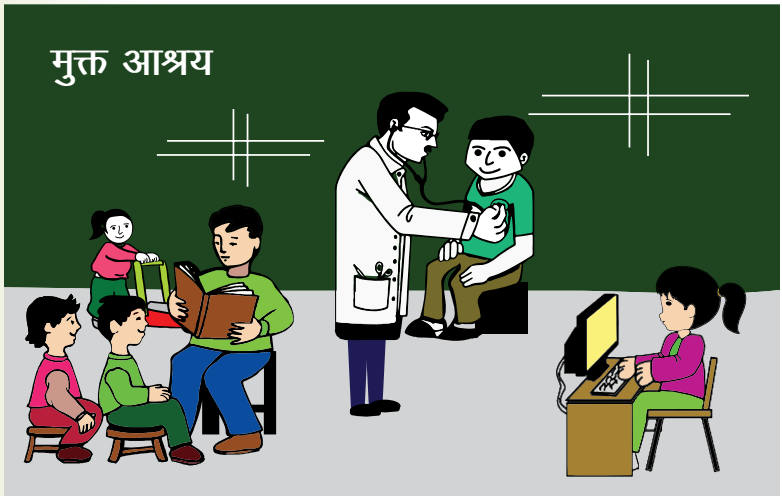

c. परिवार आधारित गैर–संस्थागत देखभाल

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम तथा इसके तहत गठित मॉडल नियम, प्रायोजन (sponsorship), पालन देखभाल (foster care), गोद लेना, और अनुवर्ती

देखभाल (after care) के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास और समेकन हेतु परिवार आधारित गैर–संस्थागत देखभाल की व्यवस्था करते हैं।

महत्त्वपूर्ण ICPS सेवा वितरण संरचनाओं की राज्यवार संख्या/स्थिति (13 जनवरी, 2015 तक के अनुसार)						
संरचनाएं	आं. प्र.	बिहार	झारखंड	ओडिशा	म.प्र.	गुजरात
DCPU	13	38	24	30	50	33
CWCs	13	38	24	30	50	33
JJBs	13	38	24	30	50	33
सरकार द्वारा संचालित आवास	60	28	15	12	29	28
NGO द्वारा संचालित आवास		18	2	144	40	28
मुक्त आश्रय	14	10	5	14	4	10
SSAs (सरकार तथा NGOs)	14	20	4	15	27	19
स्रोतः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार						

d. संस्थागत सेवाएं

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम में बच्चों या किशोरों के लिए आश्रय गृहों, बाल गृहों, पर्यवेक्षण गृहों, विशेष घरों, सुरक्षा स्थलों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्टीकृत सेवाओं (विशिष्ट आश्रय गृहों) की स्थापना द्वारा संस्थागत सेवाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। 2014-15 के दौरान, मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों के माध्यम से विविध प्रकार के करीब 1,501 गृहों को सहायता प्रदान की।

वैधानिक सहायता सेवाएं

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

a. बाल कल्याण समिति (CWC)

बाल कल्याण समिति की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो बाल कल्याण के मुद्दों से भलीभांति परिचित हो और समिति की कम से कम एक सदस्य महिला अवश्य होनी चाहिए। समिति की शक्तियां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समान हैं। समस्याग्रस्त बच्चे को समिति के समक्ष किसी पुलिस अधिकारी, लोकसेवक, चाइल्डलाइन कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, लोकप्रेरित नागरिक द्वारा या बच्चे द्वारा स्वयं लाया जा सकता है। बच्चे का सर्वोत्तम हित निर्धारित करना तथा बच्चे के लिए एक सुरक्षित घर और परिवेश खोजना, जो कि उसके मूल अभिभावक, गोद लेने वाले अभिभावक, फोस्टर केयर या कोई अन्य संस्थान हो सकता है, समिति का उद्देश्य है। इसे अपनी बैठक बाल गृह में आयोजित करनी चाहिए।

b. किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

किशोर न्याय बोर्ड किसी अपराध के आरोपित (accused) या निरूद्ध (detained) किशोरों के मामले देखता है। बच्चे द्वारा की गई आपराधिक गतिविधि के लिए यह दंड के बजाय परामर्श द्वारा सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। बोर्ड में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और

दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिनमें कम से कम एक महिला होती है। यह बच्चे के पुनर्वास हेतु सर्वोत्तम कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चे को बोर्ड के समक्ष सामान्यतया किसी पुलिस अधिकारी, या विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई के कार्मिक द्वारा लाया जाता है। JJB को अपनी बैठक पर्यवेक्षण गृह परिसर (children's home) में आयोजित करनी चाहिए।

वित्तपोषण व्यवस्था

ICPS को निम्न लागत साझेदारी अनुपातों में क्रियान्वित किया जाता हैः

साझेदार	लागत साझेदारी
केंद्रः राज्य	90:10 समस्त पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के सभी घटकों के लिए
	75:25 अन्य राज्यों के सभी घटकों के लिए
	35:65 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सभी नियामकीय निकायों (किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां) के लिए
केंद्रः राज्य	90:10 योजना के सभी घटकों के लिए
	100% वित्तपोषण – केंद्र द्वारा चाइल्डलाइन सेवाओं, NIPCCD, और CARA के लिए

यदि कोई राज्य आवंटित निधि व्यय करने में असमर्थ हो तो मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त निधि का पुनरावंटन किसी अन्य राज्य को कर दिया जाता है, जिसे अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो। निधियों का प्रवाह नीचे के ग्राफ में दर्शाया गया हैः

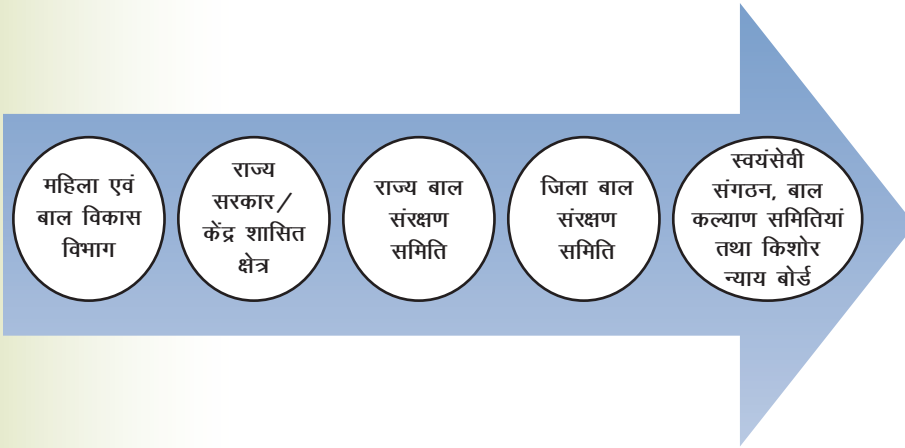

आगे का रास्ता

ICPS हमारे देश में बाल संरक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख योजना है। यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम क्रियान्वित करने का एकमात्र साधन है। किन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर ICPS के प्राविधानों का क्रियान्वयन अनेक राज्यों में अभीतक काफी ढुलमुल रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी योजना की निगरानी प्रणाली, विशेषकर जो बाल देखभाल संस्थानों, गोद लेने वाली एजेंसियों, बाल कल्याण समितियों तथा किशोर न्याय बोर्डों से संबंधित हैं, के बारे में अपनी अप्रसन्नता जाहिर की है।

ICPS की सेवा वितरण संरचना (service delivery structure) का परिचालन, जैसे कि प्रखंड और ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियां, अभी एक चुनौती बनी हुई हैं। दरअसल, ICPS कार्यक्रम और क्रियाकलाप अभी सुस्थापित किए जाने शेष हैं। संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के मॉडल नियम 2007 से प्रभावी हैं, लेकिन राज्यों को वितरित निधियों का वर्ष 2015 तक एक भी वैधानिक सोशल ऑडिट नहीं हुआ है ।

इसलिए यह जरूरी है कि सरकार विशेषज्ञों से परामर्श करके योजना के बाल कल्याण प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु एक रूपरेखा तैयार करे। नव प्रवर्तित किशोर न्याय अधिनियम, 2014 के तहत, समुचित पुनर्वास के लिए विशेषज्ञ,

मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता आदि को शामिल किए जाने के प्राविधान किए गए हैं। ICPS के आगामी बजटों में जबतक इन प्रतिष्ठानों हेतु वित्तीय प्राविधान न होंगे, हम सुरक्षा–जाल से बाहर वाले बच्चों के उद्धार और पुनर्वास के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहेंगे।

हालांकि बाल–देखभाल और संरक्षण में ICPS का सरकार–एनजीओ साझेदारी (Government & NGO partnership) पर फोकस, स्थानीय स्तर पर इसकी सेवा वितरण संरचना (service delivery structure) के प्रतिष्ठापन एवं संचालन के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। यह नागरिक समाज संगठनों (civil society organisations) का सरकारी प्राधिकारियों (government establishments) के साथ प्रभावी पैरवी और जुड़ाव के माध्यम से संभव हो पाएगा।

संदर्भ

- वार्षिक रिपोर्टः 2014-15, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- चिल्ड्रेन इन इण्डियाः अ स्टैटिस्टिकल अप्रैज़ल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2012), नई दिल्ली
- रिवाइज़्ड इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (ICPS), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- विभा शर्मा, एक्स्प्लोरेटोरी स्टडी ऑफ इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इन हरियाणा (2014), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ह्यूमिनिटीज, खंड II, अंक VIII दिसम्बर 2014

हमारी दृष्टि

एनईजी–फायर एक विकास सहयोगी संगठन है जिसका उद्देश्य उचित शिक्षा और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों व सामुदायिक समूहों के साथ अनुकूल और सक्रिय साझेदारी के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के जीवन में बदलाव लाना है।

हम हर दलित, आदिवासी, बालिका, और वे जो कमजोर अल्पसंख्यक तबकों से हैं, उन्हें अपने आसपास की दुनिया से रूबरू कराकर तथा उच्चतर शैक्षणिक या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा देकर, आत्मविश्वासी युवा शख्सियत के रूप में देखते हैं, ताकि एक समतावादी समाज का निर्माण हो सके।

हमारा लक्ष्य

पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, बहुलवाद, सभी के लिए समानता, न्याय, शांति और सम्मान के मूल्यों को बरकरार रखते हुए हम भागीदार संस्थाओं को उन बच्चों के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सक्षम बनाते हैं जो समाज में हाशिये पर हैं, परिणामतः भारत में सामाजिक परिवर्तन हो सके।

MISEREOR
IHR HILFSWERK

एनईजी-फायर (NEG-FIRE)
ए-1, तृतीय तल, सर्वोदय इंक्लेव, नई दिल्ली–110017
टेलीफैक्स – 91-11-26526570
ई-मेल – info@negfire.org
वेबसाइट – www.negfire.org